

छत्तीसगढ़ शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
// आदेश //

रायपुर दिनांक - 13.06.2024


क्रमांक एफ 2-02/2024/दो-गृह/भापुरे : जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में मई 2024 के दौरान सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को पहुँचाई गई क्षति की घटना के संबंध में प्राप्त शिकायतों अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा यथोचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण श्री सदानंद कुमार, भापुरे (सीजी-2010) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचारणीय है। अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सदानंद कुमार, भापुरे (सीजी-2010) तत्का. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा वर्तमान पदस्थापना उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अंगील) नियम, 1969 के नियम 3 (1)(a) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

2/ निलंबन अवधि में श्री सदानंद कुमार, भापुरे (सीजी-2010) का मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, रायपुर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री सदानंद कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा श्री सदानंद कुमार निलंबन अवधि में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

CMO CHHATTISGARH

तथा आदेशानुसार,,


13/6/24

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग

रायपुर, दिनांक-13.06.2024

पृ.क्र. एफ 2-02/2024/दो-गृह/भापुरे,

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
 2. सचिव, मान. राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर
 3. मान. मुख्यमंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
 4. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, रायपुर
 5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)
 6. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)
 7. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
 8. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)
 9. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के निज सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
 10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला रायपुर (छ.ग.)
 11. संबंधित अधिकारी - श्री सदानंद कुमार, भापुरे (सीजी-2010) द्वारा-पुलिस महानिदेशक, (छ.ग.)
 12. व्यक्तिगत नस्ती/पी.ए.आर. लिपिक/आर्डर फोल्डर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

//आदेश//

CMO CHHATTISGARH नवा रायपुर, दिनांक : 13.06.2024

क्रमांक ई 2-4/2024/एक/2 :: जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में मई 2024 के दौरान सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को पहुँचाई गई क्षति की घटना के संबंध में प्राप्त शिकायतों अनुसार जिला प्रशासन द्वारा यथाउचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण श्री कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से.,2009), तत्कालीन कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से.,2009) को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3 (1)(a) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आज दिनांक से निलंबित करता है।

2/ निलंबन अवधि में श्री कुमार लाल चौहान का मुख्यालय छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(अन्वेष घृतलहरे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक ई 2-4/2024/एक/2

नवा रायपुर, दिनांक : 13.06.2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
 2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,
 3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
 4. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर,
 5. संबंधित अधिकारी/व्यक्तिगत नस्ती/आर्डर बुक,
 6. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना/अधीक्षण शाखा), मंत्रालय, नवा रायपुर,
 7. कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
 8. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नवा रायपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग